संख्या -79/सीपी 434/84-2-2013-सीपी 41/90 टीसी

प्रेषक,

मुरलीधर दुबे,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक : 22 नवम्बर, 2013

विषय जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद् में गैर सरकारी सदस्यों को नामित किया जाना।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-79/84-2-2013-सीपी 41/90 टीसी, दिनांक 01 अप्रैल, 2013 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से शासन की अधिसूचना संख्या-सीपी 99/29-8-2004 सीपी 9/2003, दिनांक 05 फरवरी, 2004 द्वारा प्रत्येक जनपदों में गठित जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद में गैर सरकारी सदस्यों को नाम निर्दिष्ट किये जाने हेतु दस-दस नामों की सूची (विवरण सहित) उपलब्ध कराने का अनुरोध आपसे किया गया है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके जनपद से सम्बन्धित उक्त पत्र में वांछित सूचना अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। अतः कृपया इसे शीघ्र शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(मुरलीधर दुबे)
विशेष सचिव।

पृष्ठांकन संख्या-79/सीपी 434(1)/84-2-2013, तद-दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) आयुक्त, खाद्य एवं रसद विभाग, उ0प्र0, जवाहर भवन, लखनऊ ।
(2) निबन्धक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ.प्र., सी-1, विक्रान्त खण्ड-1, गोमती नगर, लखनऊ ।
(3) नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान विभाग, उ.प्र., 7, बाला कदर रोड, लखनऊ ।

आज्ञा से,

(मुरलीधर दुबे)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in